रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 254] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 26, 1976/श्रावण 4, 1898
No. 254] NEW DELHI, MONDAY, JULY 26, 1976/SRAVANA 4, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

## MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION
(Department of Food)

ORDER

*New Delhi, the 26th July 1976*

**G.S.R. 480(E).**—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Inter-Zonal Wheat and Wheat Products (Movement Control) Order, 1973, namely:—

1. (1) This Order may be called the Inter-Zonal Wheat and Wheat Products (Movement Control) Second Amendment Order, 1976.

(2) It shall come into force at once.

2. In the Inter-Zonal Wheat and Wheat Products (Movement Control) Order, 1973, in clause 4, for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—

"Provided that nothing in this clause shall apply to the movement of wheat or any wheat product—

(i) from one part of Nepal to another through the inter-lying territory of Uttar Pradesh; or

(ii) inside the zonal border area of Zone XX (the State of Uttar Pradesh) adjoining another Zone.".

[No. 3 (Genl.) (5)/76-D&R(I)-36.]

L. C. GUPTA, Jt. Secy.

## कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 1976

**सा० का० नि० 480 (अ)**.—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अंत: क्षेत्रीय गेहूं और गेहूं उत्पाद (संचलन नियंत्रण) आदेश, 1973 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का नाम अंत: क्षेत्रीय गेहूं और गेहूं-उत्पादन (संचलन नियंत्रण) द्वितीय संशोधन आदेश, 1976 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. अन्त : क्षेत्रीय गेहूं और गेहूं-उत्पाद (संचलन नियंत्रण) आदेश, 1973 में, खण्ड 4 में, परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु इस खण्ड की कोई भी बात गेहूं या किसी गेहूं-उत्पाद के:—

(i) उत्तर प्रदेश के बीच में पड़ने वाले इलाके से होकर नैपाल के एक भाग से दूसरे भाग को; अथवा

(ii) जोन X X (उत्तर प्रदेश राज्य) के दूसरे जोन से लगे हुए क्षेत्रीय सीमाक्षेत्र के भीतर

संचलन को लागू नहीं होगी।"।

[सं० 3 (सा०) (5)/76-डी एण्ड आर(I)-36]

एल० सी० गुप्ता, संयुक्त सचिव।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1976

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976